उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-50/2018-19

सालिमन रविदास

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
08/10/2020	अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के सदस्य है एवं वे लोग बिल्कुल ही भूमिहीन व्यक्ति है। उनका आगे कथन है कि मौजा–मछिया सिमड्डा के खाता नं0–108 दाग नं0–186 की जमीन गत खतियान के अनुसार गौचर की जमीन है। लेकिन उक्त जमीन का स्वरूप बसौड़ी जमीन के रूप में बदल गया है और उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का उनके पूर्वजों के समय से ही मकान बना हुआ है और उस मकान पर अपीलकर्त्तागण सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। इसलिए अपीलकर्त्तागण का प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने के कारण उक्त जमीन पर उनलोगों का हक कायम हो गया है। प्रतिकूल प्रभाव से दखल एवं उस आधार पर हक कायम होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का भी अनेकों न्याय निर्णय है। फिर भी अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश दिया है। अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से हटाना उचित नहीं होगा। उन्होंने अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा निर्गत नोटिश से अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–186/रा0 दिनांक–18.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मछिया सिमड्डा थाना नं0–369 के गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत खेसरा सं0–186 खतियानी रकवा 04–13–09 धुर किस्म गौचर के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्तागण द्वारा उक्त भूमि का अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि लोक भूमि की श्रेणी में हैं। झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिक्रमण वाद सं0–15/2017–18 संधारित कर अतिक्रमणकारियों को प्रथम एवं द्वितीय नोटिश निर्गत किया

गया है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा अभी तक अतिक्रमित भूमि को खाली नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मछिया सिमड्डा थाना नं0–369 के गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत दाग नं0–186 खतियानी रकवा 04–13–09 धुर जमीन किस्म गौचर के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्तागण द्वारा उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत जमीन का अतिक्रमण किया गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि लोक भूमि की श्रेणी में है। लेकिन अपीलकर्त्तागण भूमिहीन हैं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्तागण को उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के पूर्व उनलोंगो के साथ परती कदीम जमीन की बंदोवस्ती करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर अपीलकर्त्तागण के साथ गैरमजरूआ परती कदीम जमीन की बंदोवस्ती करें एवं उसके बाद मौजा–मछिया सिमड्डा के दाग नं0–186 के अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त कराकर एवं बंदोवस्ती से संबंधित प्रतिवेदन न्यायालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

डी०सी०-176/सि
16/10/21

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

08/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:54:50 +05:30
Location: 192.168.29.8